ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
04/12/2024	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पति/पिता लाबुराम, अप्रार्थी सं0 6, 7 व उनकी माता रूकड़ी देवी तथा अप्रार्थी सं0 8 के पूर्वज मंगलाराम द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से 5 के विरूद्ध राजस्व वाद सं0 283/2008 बाबत् घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली शहादत वादी हेतु नियत की गई, उसके पश्चात् अप्रार्थी सं0 1 से 5 की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने हेतु आदेश 09 नियम 07 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के जबाब व बहस हेतु विचाराधीन रही तथा दिनांक 16.07.2019 को वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से वाद को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज करने के आदेश पारित किये। उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री गिरिश नारायण जी भट्ट के लम्बे समय 7–8 वर्षो से अधिक समय तक बीमार रहने से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रार्थीगण के पति/पिता वादी सं0 1 लाबुराम, वादी सं0 02 रूकड़ी देवी एवं वादी सं0 5 मंगलाराम के स्वर्गवास हो जाने से पारित आदेश की जानकारी नहीं होने से पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश कर देरीना अवधि को क्षम्य करते हुए न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सं0 283/2008 बअनवान लाबुराम व अन्य बनाम हीराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.07.2019 को अपास्त की जाकर प्रार्थीगण को सुनवांई का अवसर प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का देरीना अवधि को कण्डोन करते हुए 1000/– कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। राजस्व वाद सं0 283/2008 बअनवान लाबुराम व अन्य बनाम हीराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.07.2019 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त वाद रेस्टोर किया जाता है। मूल वाद पुनः बरामद कर नये नंबर पर दर्ज रजिस्टर किया जावें। वाद पत्रावली पुनः उभयपक्ष बहस हेतु मकरर्र की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब/तकमील जाब्ता पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)	